

राज्य सरकार  
राज्य शिक्षा विभाग  
राज्य शिक्षा निदेशक

प्रति,

श्री अशोक कुमार,  
निदेशक (राज्य शिक्षा)  
कारखाने, रांची ।

सेवा में,

सचिव,  
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 21 / 03 / 2003

विषय:-

कारखाने राज्य के अर्न्तगत संचालित निम्नी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० से सम्बन्धित हेतु अन्तर्गत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रकाशय,

निदेशानुसार कहना है कि प्रान्त अलायन विज्ञान विभाग कारखाने सरकार के द्वारा विद्यारोपरात्ता सी०बी०एस०ई० के राज्य के अर्न्तगत संचालित निम्नी विद्यालयों की सम्बन्धता के लिये निम्नांकित विद्यालयों को नये अर्न्तगत वास्तवी स्व सम्बन्धी के अर्न्तगत अन्तर्गत प्रमाण-पत्र करने का आदेश दिया गया है :-

क्रमिक- विद्यालय का नाम

1. प्रीम फोर्ड स्कूल, तनुधाना, रांची
2. गेन्डर हर्ट सिनियर रेदेपट्री विद्यालय, तनुधाना, रांची
3. राधागोविन्द पाठशाला स्कूल, धारापोला, रामगढ़ कैम्प
4. विभागी विद्यालय, तिलैया डैम, शोधरसा ।
5. मर्से इन्टरनेशनल स्काइमी, मधुपुर
6. गीता देवी सी०बी०एस०ई० पाठशाला स्कूल, देवघर ।
7. देवरोय स्कूल, नारायण धाउन, देवघर ।
8. आरजेजे स्कूल, गढ़वा ।
9. सरस्वती शिक्षण विद्यालयीय बासनासा, धन्पाड ।
10. सार्धन पाठशाला स्कूल, नारायण तिलैया, शोधरसा
11. श्री लक्ष्मी विद्यालयीय, विभागी नगर, रामगढ़ कैम्प ।
12. नारायणी शिक्षण विद्यालयीय, धारा, रांची

21/03/03

17.06.2014  
Principal  
S.S.V.M. & Co. School  
Dabra, Ranchi



है अथवा नहीं' इसकी जाँच समय-समय पर मानव सहायन विभाग झारखंड के ज्येष्ठ वडाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के विस्तृत एवं अकादमिक अनिवारितताओं की जाँच करा कर सकेगी और जाँचीपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. स्तद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का विपद्यारा मानवीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकाहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शास्त्रों के उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति छुड़ प्रमाणा-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य जानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विशवातभाजन

॥अलखदेव प्रसाद॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
झारखंड, राँची ।

तापक 935 / राँची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रतिलिपि, संबंधित सभी क्षेत्रीय उच्च निदेशक/सभी जिला शिक्षा प्रशासिका/सभी संबंधित विधालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

॥अलखदेव प्रसाद॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
झारखंड, राँची ।

तापक 935 / राँची, दिनांक 27 अप्रैल, 2003

प्रति लपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव & सचिव मानव सहायन विभाग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

॥अलखदेव प्रसाद॥

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
झारखंड, राँची ।

*Aditya*  
17-6-2020  
Principal  
S.S.V.M. Sr. Sec. School  
Dakra, Ranchi